

EMA INDIA LIMITED

CIN:L27201UP1971PLC003409

Mirs. of Induction
Heating and Honing
Machines & Accessories

Date: 03/08/2023

To, Manager-CRD, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai-400001

Dear Sir / Ma'am,

Sub: Copy of Advertisement published in Newspaper- Intimation of Board Meeting of the Company for Quarter ended 30th June, 2023.

Re: EMA India Limited; Scrip Code: 522027

Pursuant to the provision of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed herewith the copies of advertisement published in 'Financial Express' English Edition and 'Rashtriya Sahara' Hindi Edition on 03 August, 2023 for intimation of Board Meeting for Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2023.

Kindly take the above on record.

Thanking You,

Yours faithfully

For EMA India Limited

(Namita Sabharwal)

Company Secretary and Compliance Officer

Membership no.- A35411

Encl: As above

Regd. Office & Postal Address

ce EMA INDIA LTD.
C-37, Panki Industrial Area
dress P.O. Udyog Nagar
Kanpur-208 022

Honing Machine Division GEHRING INDIA
(A Div of Ema India Ltd.)
Vill, Maharajpur, 19th Km. Stone
P.O. Tantiyaganj, Mandhana
Kanpur Dehat-209 203
INDIA

EMA

L : +91-512-691210-11-12-13

+91-512-691214

GEHRING Tel. : +91-5112-20105, 20167 Fax : +91-5112-20106

E-mail: emain@lw1.vsnl.net.in

FINANCIAL EXPRESS

Regd. Office: C-37, Panki Industrial Area, PO. Udyag Nagar, Karpur-208022, Tel: +91-512-2691210-11 Website: www.eiltd.info, E-Mail: emaindia.cs@gmail.com, CIN — L27201UP1971PLC003408 NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and other applicable regulations of the SEB (LODR) Regulations, 2015, notice is hereby giver that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday. 10" August, 2023 inter-alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended 30" June, 2023. The information contained in this notice is also available on the Company's corporate website (www.eiltd.info) and on the website of BSE Limited (www.bseindia.com). For EMA INDIA LTD

DECOROUS INVESTMENT

TRADING CO. LTD.

CIN: L67120DL1982PLC289090

Regd. Office: R-489, GF-B, New Rajinder

Nagar, New Delhi - 110060

Tel No.: 9910003638,

Email Id: decorous1982@gmail.com

Website: www.ditco.in

NOTICE

Pursuant to Listing Agreement(s) with BSE Ltd

& CSE, Notice is given that Meeting(s) of Audi

Committee & Board of Directors is scheduled

to be held on THURSDAY - 10.08.2023 at 10:30

& 11:30 A.M. at its Regd. inter-alia to consider

approve & adopt Un-audited Quarterly Financial

Results of Quarter ended 30-06-2023 & Limited

Review Report, Trading Window in equity

shares will remain closed from 01.07.2023 to

15.08.2023 for all insiders, to approve NOTICE

of 40th ANNUAL GENERAL MEETING

alongwith Notes, Directors Report, MGT-9,

Secretarial Audit Report, Managemen

Discussion & Analysis Report, Secretarial

Compliance Report, PCS Certificate, Corporate

Governance Report, Policies, Committees,

Book Closure Dates, AGM details, Audited

Financial Statements with Audit Reports of FY

ended 31.03.2023, Re-appointment of retiring Director & Statutory Auditors, List of

Resolutions, Correspondence with RTA, CDSL,

NSDL, E-voting, Scrutinizer, Etc., and any other

02.08.2023 WTD & CFO - DIN: 00074532

matter with the permission of Chair.

Date : 02.08.2023 Place : Kanpur

(Ranjana Bhargava

IMPORTANT

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

SWAGTAM TRADING & SERVICES LIMITED CIN: L51909DL1984PLC289131 Regd. Office: R-489, GF-A, New Rajinder Nagar, New Delhi - 110060 **Tel**: 011-42475489

E-mail: swagtam1984@gmail.com Website: www.swagtam.com Pursuant to Listing Agreement(s) with BSE Ltd

& CSE, Notice is given that Meeting(s) of Audit

Committee & Board of Directors is scheduled to be held on THURSDAY - 10.08.2023 03:30 & 04:30 P.M. at its Regd. inter-alia t consider, approve & adopt Un-audited Quarterl Financial Results of Quarter ended 30-06-202 & Limited Review Report, Trading Window i equity shares will remain closed from 01.07.2023 to 15.08.2023 for all insiders. to approve NOTICE of 38th ANNUAL GENERAL MEETING alongwith Notes, Directors Report MGT-9, Secretarial Audit Report, Managemer Discussion & Analysis Report, Secretaria Compliance Report, PCS Certificate, Corporate Governance Report, Policies, Committees Book Closure Dates, AGM details, Audited Financial Statements with Audit Reports of FY ended 31.03.2023, Re-appointment of retiring Director & Statutory Auditors, List of Resolutions, Correspondence with RTA, CDSL NSDL, E-voting, Scrutinizer, Etc., and any other matter with the permission of Chair. New Delhi **Sumit Gupta**

From No.5 The Debts Recovery Tribunal Lucknow 600/1, University Road, Near Hanuman Setu Temple, Lucknow - 226007 (Area of Jurisdiction- Part of Uttar Pradesh) Summons For Filing Reply & Appearance By Publication (Summon to defendants under Section 19(3), of the Recovery of Debts due to the

Financial Institutions Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993) O.A.N.O 400/2016 DATE: 05.07.2023 Original Application No. 400 Of 2016 HDFC BANK LTD APPLICANT

SIRAJAHMAD & ANOTHER. Defendants To, 1. Siraj Ahmad C/o Shabbeer Ahmad R/o H. No. 41 Bill Majulla Nagar Kotha Nikat Kemri,

Rampur Kemri - 244901 (U.P.) Chotey Ahmad R/o Village - Majulla Nagar Kotha Nikat Kemri, Rampur Kemri - 244901 (u.p.) In the above noted application, you are required to file reply in paper book form in Two sets along with the documents and affidavits personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel / duly authorized agent after publication of the summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 11.01.2024 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your

REGISTRAR DEBTS RECOVERY TRIBUNAL LUCKNOW



The South Indian Bank Ltd, Branch - Karol Bagh Ward No. 18, Pusa Road, Opp. City Hospital Metro Pillar No. 95, Karol Bagh P O Central Delhi, Delhi - 110 005 Email: br0117@sib.co.in

LOSS OF FIXED DEPOSIT CERTIFICATE

Notice is hereby given that Fixed Deposit Receipt Number 0117101000024690 Deposit amount of Rs. 919248.00 (Rupees Nine lakh ninteen thousands two hundred forty eight only 1 dated 03.05.2008 and maturity amount Rs. 2698156.00 (Rupees Twenty six lakhs ninty eight thousand one hundred fifty six only)dated 03.05.2023 in The South Indian Bank Ltd, Delhi Karol Bagh branch originally issued in the name of Minor Prabhanoor (now major) Under Guardianship of Mrs. Supreet Inder Kaur has been lost/ stolen/ mislaid/ destroyed. Due notice thereof has been given to the Bank and all person are warned against dealing with the fixed deposit certificate in anyway. Any person who has claim in respect of the said fixed deposit certificate should lodge such a claim with the South Indian Bank, Ward No 18, Pusa road opposite metro pillar no 95 karol bagh New Delhi within 15 days from the date of publication.

Date: 03-08-2023 AUTHORISED OFFICER

CAN FIN HOMES LTD. FARIDABAD, HARYANA-121001 Email-faridabad@canfinhomes.com.

Mobile - 7625079140 CIN: L85110KA1987PLC008699 POSSESSION NOTICE [Rule 8 (1)]

The undersigned being the Authorized Officer of Can Fin Homes Ltd. under the Securitsation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of the powers under the said Act and Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 30.05.2023 calling upon the borrowers Mrs. POONAM YADAV & Mr. SURENDER SINGH to repay the amount mentioned in the notice being Rs 18,99,427/- and interest from 30.05.2023 to till date of final payment within 60 days from the date of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of CFHL for an amount of Rs 18.99.427 /- and interest thereon.

Description of immovable property All that part and parcel of property situated at:

ALL THAT PART AND PARCEL OF THE PROPERTY BEARING HOUSE NO. MFC A - 270 BHAGAT SINGH COLONY, FARIDABAD, BALLABGARH, HARYANA

NORTH: 15 FEET ROAD SOUTH: OTHER'S PROPERTY EAST :HOUSE NO . 269 WEST :HOUSE NO. 271

Date: 01.08.2023 Sd/- Authorized Officer Place: FARIDABAD Can Fin Homes Ltd.

PUBLIC ANNOUNCEMENT (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF KARAN AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED Name of corporate debtor Karan Automotives Private Limited Date of incorporation of corporate debtor 14.02.2003 Registrar of Companies, Delhi Authority under which corporate debtor is incorporated /registered Corporate Identity No. / Limited Liability U34300DL2003PTC118971 Identity No. of corporate debtor Registered Office: H. No. 7, Ground Floor, Vill Address of the registered office and principal Tehkhand Mavi Mohalla, 1E, Campa Cola office (if any) of corporate debtor Factory New Delhi - 110020 Principal Office: Plot No. 17-C. Opposite Whirlpool India Ltd. Industrial Area, NIT Faridabad - 121001, Harvana 31.07.2023 Insolvency commencement date in respect of corporate debtor Estimated date of closure of insolvency 27.01.2024 resolution process Name and registration number of the Shailesh Dayal insolvency professional acting as interim | IBBI/IPA-002/IP-N00834/2019-20/12630 resolution professional Address and e-mail of the interim resolution 2/6A, LGF, Jungpura-A, New Delhi - 110014 professional, as registered with the Board E-mail: shaileshdayal@gmail.com Address and e-mail to be used for 2/6A, LGF, Jungpura-A, New Delhi - 110014 correspondence with the interim resolution E-mail: cirp.karanautomotives@gmail.com professional Last date for submission of claims 14.08.2023 Classes of creditors, if any, under clause (b) Not Applicable of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional Names of Insolvency Professionals identified Not Applicable to act as AuthorisedRepresentative of creditors in a class (Three names for each 14. (a) Relevant Forms and Web link: https://www.ibbi.gov.in/home (b) Details of authorized representatives are downloads Physical Address: IRP Office as listed at entry no. 10 above. Not Applicable

FORM A

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of Karan Automotives Private Limited on 31.07.2023 The creditors of Karan Automotives Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 14.08.2023 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class [specify class] in Form CA. [Based on information available to IRP, this para is not applicable) Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Shailesh Dayal

Name and Signature of Interim Resolution Professional 02.08.2023 at New Delhi



Director, DIN No. 06911742

Saraswat Co-operative Bank Ltd.

(Scheduled Bank)

17. Previous year's figures are regrouped or rearranged, wherever necessary, to conform to the layout of the accounts of the current year. sd/-

A. A. Patil Managing Director & CEO

(Abhay V Kamat)

Place: Mumbai

Membership No.39585

Date: April 13, 2023

Partner

S. N. Sawaikar Director

R K Gupta

02.08.2023

K. V. Rangnekar Director

sd/-S. K. Sakhalkar G. E. Thakur Chairman Vice-Chairman

For M. P. Chitale & Co.

Chartered Accountants

Firm Registration No.101851W

As per our report of even date

For Mukund M. Chitale & Co. Chartered Accountants Firm Registration No.106655W

> sd/-(Sanat Ulhas Chitale) Partner Membership No.143700 Place: Mumbai

> > Date: April 13, 2023

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

(₹ in crores)

	31.03.2023		31.03.2022	
CASH FLOW FROM OPERATING	1		ic 3	1
ACTIVITIES:		200000		97V25505
Net Profit as per P/L account		355.49		275.02
Add: Adjustments for	(690302000	20000000	2002000000	
Depreciation on Assets	78.55		68.42	
Fixed assets written off	0.02		2.30	
Amortisation of Investments	26.67		27.65	
Depreciation of Investments	21.49		46.83	
Provision for BDDR (incl Other Assets)	308.58		200.84	
Reserve for Restructured Assets- Covid	0.00		14.86	
Contingent provision against Standard Assets	37.20		10.10	
Reserve Restructured Assets	3.60		0.00	
Provision for Tax	188.00	5/5000000000	86.00	100000000000000000000000000000000000000
Deferred tax	(49.86)	614.25	4.01	461.01
Less:	01585 ANT	969.74	7 2	736.03
Profit on Sale of Assets	0.36		4.17	
Profit on Sale of Securities	52.14		103.84	
Excess Provision for Restructured Assets	0.00		3.79	
reversed				
Provision towards a/c under Covid Relief				
written back	5.73	58.23	0.00	111.80
		911.51		624.23
Adjustments for				
Decrease/(Increase) in Investments	(602.31)		(1,264.26)	
Decrease/(Increase) in Advances	(2,354.64)		(2,460.79)	
Decrease/(Increase) in Other Assets	(55.91)		(111.46)	
Increase/(Decrease) in Funds	(42.41)		(64.16)	
Increase/(Decrease) in Deposits	1,631.23		2,015.23	
Increase/(Decrease) in Other Liabilities	182.81	(1,241.23)	(116.36)	(2,001.80)
Net Cash generated from		(329.72)		(1,377.57)
Operating Activities before Tax		(020.12)		(1,011,017
Income Tax paid (Net)		(188.00)		(88.75)
Net Cash generated from Operating	1	(100.00)	B 8	(00,70)
Activities after Tax (A)		(517.72)		(1,466.32)
Activities after rax (A)		(317.72)		(1,400.32)
CASH FLOW FROM INVESTING				
ACTIVITIES:	(405.04)		(100.04)	
Purchase of Property, Plant &	(125.01)		(160.04)	
Equipment Sale			12120	
Sale proceeds of Property, Plant & Equipment	0.63		8.64	
Net Cash generated from Investing		NGCONTRAC		- I UNIVERSAL SALES
Activities (B)		(124.38)		(151.40)
CASH FLOW FROM FINANCING				
ACTIVITIES:				
Proceeds from issue of Share Capital	33.13		30.71	
Refund of Share Capital	(11.22)		(12.43)	
Proceeds from Borrowing	1,86,978.67		2,27,179.58	
Repayment of Borrowing	(1,86,926.41)	3	(2,26,173.33)	
Dividend Paid	(52.59)		(47.90)	
[2012] [2012] [2013] [2013] [2013] [2013] [2013]	(02.00)		(71.100)	
Net Cash generated from Financing		24.50		1 040 60
Activities (C)		21.58	S 0	1,012.63
Net increase in Cash & Cash		(600 50)		/605 00V
equivalents (A+B+C)		(620.52)		(605.09)

4,441.58 5,062.09 end of the year 31.03.2023 31.03.2022 Cash & Cash Equivalents 2,417.80 2,263.46 Balance with other banks (excluding Term Deposits maturing beyond 3 months) 652.10 1,699.82 Money at Call & Short Notice 1371.68 1,098.81 4.441.58 5.062.09

5.062.09

5,667.18

Cash and Cash Equivalents include highly liquid short term investments for short period in form of Cash, balances held in current accounts with other Banks (including Term Deposits maturing within 3 months) and Money at Call & Short Notice

sd/-

A. A. Patil S. N. Sawaikar K. V. Rangnekar S. K. Sakhalkar G. E. Thakur Managing Director Director Director Vice-Chairman Chairman & CEO

As per our report of even date

2 Cash flow Statement is prepared by using indirect method as mentioned in AS 3.

For Mukund M. Chitale & Co. Chartered Accountants Firm Registration No.106655W

(Abhay V Kamat) Partner Membership No.39585

Mumbai: April 13th, 2023

Chartered Accountants Firm Registration No.101851W sd/-

For M. P. Chitale & Co.

(Sanat Ulhas Chitale) Partner Membership No.143700 Mumbai: April 13th, 2023

Independent Auditors' Report

To, The Members, Saraswat Co-operative Bank Ltd.

Report on the Audit of Financial Statements

We have audited the accompanying Financial Statements of Saraswat Co-operative Bank Ltd. ("the Bank") as at March 31, 2023, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2023, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Financial Statements together with the notes thereon give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, the Multi State Cooperative Societies Act, 2002 and the Rules made thereunder, the guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") and the Central Registrar of Cooperative Societies, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2023 and its profit and its Cash Flows for the financial year ended on that date.

Basis of Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949 and the rules made thereunder and under the provisions of the Multi State Cooperative Societies Act, 2002 and the rules made thereunder and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of other information. The other information comprises the information included in the Board of Directors Report including other explanatory information, but does not include Financial Statements and our auditor's report thereon. The report of the Board of Directors is expected to be made available to us after the date of this auditor's

Our opinion on the Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. When we read the Report of Board of Directors including other explanatory information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and those Charged with Governance for the Financial The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of these Financial Statements that give a

true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, provisions of The Banking Regulation Act, 1949 and the Rules made thereunder, provisions of The Multi State Cooperative Societies Act, 2002 and the Rules made thereunder and circulars and guidelines issued by RBI and the Central Registrar of Cooperative Societies from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate records in accordance with the provisions of the Acts for safeguarding of assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Financial Statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Boards of Directors are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of Financial Statements

Our objective is to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error and to issue auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is high level of assurance, but it is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional

scepticism throughout the audit. We also:

Registered Office & Corporate Center:

Ekanath Thakur Bhavan, 953, Appasaheb Marathe Marg,

Prabhadevi, Mumbai - 400 025.

Website: www.saraswatbank.com

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal & Regulatory Requirements

 The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms A and B respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949, and the Multi State Cooperative Societies Act, 2002, the Multi State Co-operative Societies Rules, 2002.

As required by Section 73(4) of the Multi State Co-operative Societies Act, 2002, and section 30(3) of the Banking Regulation Act, 1949 (as amended), we report that: a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found to be satisfactory.

 b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches or offices.

c) No separate audit of the branches has been conducted under the Multi State Co-operative Societies Act, 2002 and therefore no other auditor's report has been received by us.

d) The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the

e) The Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report, are in agreement with the books of account and the returns.

3. As per the information and explanations given to us and based on our examination of the books of account and other record, we report as under on the matters specified in clause (d) and (e) of Rule 27 (2) of the Multi State Co-operative Societies Rules, 2002:

f) The profit and loss account shows a true balance of profit for the period covered by such account.

 a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, we have not noticed any material impropriety or irregularity in the expenditure or in the money due to the Bank. b) During the course of Audit, we have generally not come across any violations of guidelines,

conditions etc. issued by the RBI. The guidelines of National Bank for Agriculture and Rural Development ("NABARD") are not applicable to the Bank since the Bank has neither accepted deposits nor received subsidy from NABARD.

4. As required by Rule 27(3) of the Multi State Co-operative Societies Rules, 2002, we report on the matters specified in clauses (a) to (f) of the said Rule to the extent applicable to the Bank as under.

 a) During the course of our audit, we have generally not come across transactions which appear to be contrary to the provisions of the Act, the Rules or the Bye-Laws of the Bank. b) During the course of our audit, we have not come across material and significant transactions which

appear to be contrary to the guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI"). The guidelines of National Bank for Agriculture and Rural Development ("NABARD") are not applicable to the Bank since the Bank has neither accepted deposits nor received subsidy from NABARD. Based on our examination of the books of account and other records and as per the information and

explanations given to us, the money belonging to the Bank which appears to be bad or doubtful of recovery are as follows:

Category	Principal outstanding as on March 31, 2023 (Rs. In Lakhs)		
Doubtful Advances	117,290.45		
Non-Performing Investments	Nil		
Other Assets	3,220.26		

d) The Bank has not given loans to the members of the Board of Directors.

e) During the course of our audit, we have generally not come across any violations of guidelines conditions etc. issued by the RBI. The guidelines of National Bank for Agriculture and Rural Development ("NABARD") are not applicable to the Bank since the Bank has neither accepted deposits nor received subsidy from NABARD.

f) To the best of our knowledge, no other matters have been specified by the Central Registrar of Cooperatives Societies, which requires reporting under this rule.

Mukund M. Chitale & Co. Chartered Accountants ICAI Firm Registration No.106655W

New Delhi

sd/-(Abhay V Kamat) ICAI Membership No.39585 Place: Mumbai Date: April 13, 2023 UDIN: 23039585BGXBKE1309

M. P. Chitale & Co. Chartered Accountants ICAI Firm Registration No.101851W sd/-

(Sanat Ulhas Chitale) ICAI Membership No.143700 Place: Mumbai Date: April 13, 2023 UDIN: 23143700BGXAVP8563



Cash & Cash Equivalents at the

Cash & Cash Equivalents at the

beginning of the year

उत्सुकता मैं भेज रहा हूं। — डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक', पूर्व केंद्रीय मंत्री

संक्षिप्त खबरें

इरफान मामले में आज पेश होंगे चश्मदीद गवाह कानपुर । समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आगजनी के मामले में दो चश्मदीद गवाह के मामले में दी गयी आपत्ति अर्जी खारिज हो गयी। दोनों गवाहों को कोर्ट में पेश करने के आदेश हैं। डिफेंस कॉलोनी निवासी महिला ने जाजमऊ थाने में विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों पर प्लॉट पर कब्जे की नीयत से आग लगाने की रिपोर्ट दर्ज करायी है। एडीजीसी भास्कर मिश्र के मुताबिक अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में धुरीपुरवा नौबस्ता निवासी निखिल और गूबा गार्डेन निवासी विष्णु कुमार सैनी को चश्मदीद गवाह के रूप में पेश करने की अनुमति मांगी थी। बचाव पक्ष ने इस पर आपत्ति जतायी थी। कोर्ट ने गवाह को पेश करने के आदेश दिये हैं। मामले में विधायक के भाई रिजवान सोलंकी, उनके साथी इसराइल आटेवाला, शौकत अली और शरीफ भी आरोपित हैं। चारों आरोपियों को जिला जेल से पेशी पर लाया गया। वहीं, विधायक इरफान की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा

कानपुर। नजीराबाद पुलिस ने नाबालिंग के साथ दुष्कर्म के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बुधवार को आरोपित को कोर्ट के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। नजीराबाद पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपित पप्पू पुत्र बद्री निवासी उन्नाव को देर रात चेकिंग के दौरान कोकाकोला चौराहे से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि किशोरी के परिजनों ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म समेत कई संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस ने देर रात चेकिंग के दौरान आरोपित को कोकाकोला चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सुबह उसका मेडिकल हैलट अस्पताल में कराया और उसे कोर्ट के समक्ष पेश कर जेल

Regd. Office: C-37, Panki Industrial Area, P.O. Udvop Nagar, Kanpur-208022, Tet +91-512-56912(0-11) Website: www.elfd.in(b, F-Mail: emaindia.cs@gmail.com. CIN — L27201UP1971PLC003408

(एसएनबी)

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and other applicable regulations of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company in exhausting the Applications of the September 19 per 19 p ompany is scheduled to be held on Thursday 10th August, 2023 inter-alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2023. The information contained in this notice is also available on the Company's corporate website (www.eiltd.info) and on the website of BSE

Date : 02.08.2023

निविदायें आमंत्रित की जाती है :-

पत्रांक: जलकल/27/निविदा प्रकाशन/2023-24

ई-निविदा पद्धित से आमंत्रित निविदाओं की संख्या- 01

स्कूल में हत्या होना दुर्भाग्यपूर्ण : अनीता अग्रवाल

🔳 सहारा न्यूज ब्यूरो

कानपुर ।

स्कूल सबसे सुरक्षित जगह होती है। यहां पर हत्या जैसी घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। अभिवावक निश्चिंत होते हैं कि बच्चे स्कूल गए हैं। स्कूल में क्लासरूम के अंदर घटना होना बहुत ही गलत है। अगर ऐसी घटनाएं स्कुलों में होंगी तो, मांजाप बच्चों को स्कुल भेजने से डरेंगे। यह बात राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश की सदस्य अनीता अग्रवाल ने बुधवार को प्रयाग विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के निरीक्षण के दौरान कही। हाईस्कुल के छात्र द्वारा सहपाठी की चाकू मारकर हत्या की घटना के उन्होंने जांच के आदेश भी दिए।

उन्होंने निरीक्षण में स्कूल के ऊपरी हिस्से में रेलिंग को ऊंचा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली कि मां को बेटे संग हुई मारपीट और झगड़े की सूचना थी। मां को स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षकों से ऐसी जानकारी को साझा करना चाहिए था, जिससे ऐसी घटना शायद होती ही नहीं।

बच्चों के बैग चेक करने के लिए जारी करेंगी एडवाइजरी

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल ने कहा कि स्कूलों में आठवीं से इंटर तक के बच्चों के बैग चेक करने के लिए वह एडवाइजरी जारी करेंगी। सप्ताह में कम से कम दोन्तीन बार अचानक बच्चों के बैग चेक होने चाहिएं. जिससे कॉपीन्कताबों के अलावा बच्चों के बैग में क्या है इसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन को हो सके। स्कूल के साथ ही अभिवावकों को भी घर में बैग चेक करने चाहिएं, जिससे बच्चों की कार्यशैली की जानकारी हो सके। पुलिस सबके साथ तो रह नहीं सकती

आपराधिक घटनाओं पर पुलिस की कार्यशैली पर बात करने पर अनीता अग्रवाल ने कहा कि पुलिस सबके साथ तो रह नहीं सकती। घटना होने के बाद ही पुलिस पहुंचेगी। अगर घटना होने पर पुलिस कार्यवाई न करे, अपराधी को गिरफ्तार न करे, तो उस स्थित में पुलिस की लापरवाही मानी जा सकती है। सब



विद्यालयों में मनोचिकित्सक करेंगे बच्चों की काउंसिलिंग

कानपुर (एसएनबी) । बिधनू के गंगापुर स्थित प्रयाग विद्या मंदिर इण्टर कालेज में कक्षा दस के एक छात्र द्वारा अपने ही सहपाठी की नृशंस हत्या की घटना को गंभीरता से लेते हुए कानपुर स्कूल्स एसोसिएशन ने जल्द ही चिकित्सकों व मनोचिकित्सकों के साथ सभी विद्यालयों में बच्चों की काउंसिलिंग कराने का निर्णय लिया है। काउंसिलिंग के साथ ही विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा में 15 मिनट प्रतिदिन भारतीय संस्कृति का बोध कराने के साथ ही छात्रों और छात्राओं के बीच गुरुभाई की परम्परा और आपस में सद्भाव बनाने को प्रेरित किया जायेगा। उन्हें समझाया जायेगा कि किसी भी प्रकार का तनाव होने पर वह अपने शिक्षक, अभिभावक या मित्रों से इसे साझा करें। बैठक में संस्था के अध्यक्ष अजित अग्रवाल, कृष्णकुमार दुबे, प्रतीक श्रीवास्तव, कौशल सिंह, संजय गुप्ता, अंकित दुबे, अब्दुल वहीद और विवेक कुमार आदि थे।

कुछ पुलिस पर छोड़ना सही नहीं है। उन्होंने आजमगढ़ में एक छात्रा द्वारा स्कूल की छत से कूदने के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा क्या कारण है कि बच्चों को इतना गुस्सा आ रहा है कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। एक-दूसरे को मार रहे हैं।

पीड़ित परिवार के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य ने कहा कि स्कूल के अंदर ऐसी घटना होने के बाद उनकी पीडित परिवार से मिलने की हिम्मत नहीं हो रही है। उस परिवार पर क्या गजर रही होगी, जिसका इकलौता बेटा स्कूल में क्लासरूम के सहपाठी द्वारा मार दिया गया हो। मेरी तो उस परिवार से नजर मिलाने की हिम्मत तक नहीं हो रही है।

विधायक महेश त्रिवेदी पीड़ित परिवार से मिले

त्रिवेदी बुधवार को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने मृतक छात्र नीलेन्द्र के पिता जितेंद्र तिवारी से मिलकर उनको सांत्वना दी। उन्होंने ऐसी घटना पहले कभी नहीं सुनी। इस दौरान विधायक ने सीपी से इस मामले में कड़ी कार्यवाई करने के लिए फोन पर बात भी की।

वेब सीरीज ने बनाया बालक को

बिधनू की गंगापुर कॉलोनी में प्रयाग विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कक्षा 10 के सहपाठी छात्र नीलेंद्र की हत्या करने का आरोपी छात्र आपराधिक घटनाओं पर बनी वेबसीरीज का शौकीन है। उसने ओटीटी प्लेटफार्म पर मिर्जापुर वेबसीरीज चार बार देख रखी थी। वेबसीरीज के एक पात्र गुड़ू भइया से हत्यारोपी खासा प्रभावित था। पूछताछ में पता चला है कि उसके जैसे ही सरेआम कत्ल करके इलाके में दहशत फैंलाना चाहता था। मूलरूप से महाराजपुर,

रूमा के लालापुर गांव का रहने वाला हत्यारोपी अपने मातापिता की इकलौती संतान है। मातार्पिता के प्यार में इस कदर बिगड़ा कि छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा। एसीपी घाटमपुर दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि उसकी लड़ाई-झगड़े की आदत से तंग आकर परिजनों ने उसे उसके फूफा के पास गंगापुर भेजा था। कभी फुफा के मोबाइल तो कभी दोस्त का मोबाइल लाकर अक्सर रातऱातभर वेबसीरीज देखा करता था। इसी का असर था कि वह अपने स्कुल के दोस्तों पर भी जरा सी बात पर हाथ छोड़ देता था। कई बार उसके दोस्तों ने उसे गुड़ू पंडित का डायलॉग भी बोलते सुना। वेबसीरीज में जैसे गुड़ू भइया सरेराह एक अन्य पात्र को हिन्दी वर्णमाला का पाठ पढ़ाते हुए गोली मार देता है, ठीक उसी तरह से वह सरेआम नीलेंद्र की भी चाक से गोदकर हत्या करना चाहता था। सोमवार को जैसे ही उसे मौका मिला, उसने उसी अंदाज में नीलेंद्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी को बच्चों की कोर्ट में पेश करने के बाद बाल सुधार गृह भेजा गया है। हत्यारोपी छात्र को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। नीलेंद्र पर चाकु से ताबड़तोड़ वार करने के बाद वह मौके पर ही हाथ में चाकू लिए खड़ा रहा। उसके चेहरे, हाथ और कपड़े नीलेंद्र के खून से सन चुके थे। उसके चेहरे पर कोई दहशत देखने को नहीं मिली, जबिक कक्षा में मौजूद अन्य छात्र-छात्राओं में चीख पुकार मच गई। उसने मौके से भागने तक का प्रयास नहीं किया। पढ़ाई लिखाई में मन न लगने और आए दिन किसी न किसी से झगड़ने से परेशान होकर परिजनों ने उसे लखनऊ में रहने वाले उसके चाचा के पास भेजा दिया। वहां भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसके बाद उन्होंने भी छात्र को साथ रखने से मना कर दिया। दो साल पहले बिधनू निवासी छात्र के फूफा उसे साथ ले आए। नीलेंद्र की हत्या से अवाक रहे हत्यारोपी के फूफा बोले कि वह तो उसे अफसर बनाना चाहते थे लेकिन वह अपराधी

'स्कूलों के 100 मी. परिधि में न हों धूम्रपान की दुकानें'

कानपुर (एसएनबी)। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल ने कहा कि जिले में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जाए। स्कलों के 100 मीटर परिधि के पास कोई धूम्रपान आदि की दुकान न संचालित हो। हुक्का बार, बीयर बार में औचक निरीक्षण किया जाए कि कहीं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नशे का सेवन तो नहीं कर रहे।

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल ने बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि जनपद में भ्रमण के दौरान उच्च प्राथमिक विद्यालय सजारी सदर बाजार नगर क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें देखा गया कि कुछ बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं थे, जिसके संबंध में बताया कि डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में पैसा भेज दिया गया है, लेकिन अभिभावकों द्वारा बच्चों को युनिफार्म अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। निर्देशित किया कि अध्यापकों द्वारा बच्चों के मातार्निता से सम्पर्क कर बच्चों को युनिफॉर्म दिलवाई जाए। विद्यालय प्रांगण में साफन्सफाई की व्यवस्था ठीक हो। निरीक्षण के दौरान बच्चों से पहाडे सुने गये तथा किताबे भी पढवाई गयीं। साथ ही चाइल्ड हेल्प नम्बर भी पूछा गया। बच्चों को कॉपी व पेन दिये गये। इसके बाद कांशीराम चिकित्सालय का निरीक्षण किया। रख-रखाव का अभाव था। साफन्सफाई अच्छी नहीं थी। चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, स्टाफ नर्स की पर्याप्त उपलब्धता नहीं थी। निर्देशित किया कि चिकित्सालय में सरकार द्वारा सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य ने अधिकारियों को दिये निर्देश

<mark>बोलीं, हुक्का व बीय</mark>र बार का निरीक्षण कर देखें कहीं किशोर तो नहीं कर रहे सेवन

है। इसका बेहतर ढंग से उपयोग किया जाए। इसके बाद सर्किट हाउस सभागार में बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए गए कि जनपद में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जाए। स्कूलों के 100 मीटर परिधि के पास कोई धुम्रपान आदि की दुकान न संचालित हो। हक्का बार, बीयर बार में औचक निरीक्षण किया जाए कि कहीं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नशे का सेवन तो नहीं कर रहे। श्रम विभाग द्वारा फैक्ट्रियों में औचक निरीक्षण किया जाए और यह सुनिश्चित कराया जाए कि किसी फैक्ट्री में बाल श्रम तो नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाल श्रम व भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराई जाए। जन औषधि केन्द्रों में दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। मदरसों का औचक निरीक्षण किया जाए। बैठक में अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय) एसपी सिंह, सीएमओ डॉ. आलोक रंजन, एसीपी (क्राइम) स्वेता कुमारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी जयदीप सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी दुर्गेश प्रताप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय) मुन्नीलाल, बीएसए सुरजीत कुमार, सदस्य बाल कल्याण समिति दीप अवस्थी आदि मौजूद रहे।

मातारिपता की दूरी बच्चों को बना रही हिंसक

मोबाइल से बढ़ रहा चिड़चिड़ापन व गुरसा

कानपुर (एसएनबी)। माता पिता का अपने बच्चों को समय न देना। उनसे बातचीत न करना। उनकी समस्या न सुनना। मानसिक रूप से बीमार कर रहा है। जरा सी बात पर बच्चे आपा खो रहे हैं। चिड़चिड़ापन व गुस्सा बढ़ रहा है। इसमें इंटरनेट व मोबाइल आग में घी का काम कर रहे हैं। दरअसल शहर में लगातार हो रही बच्चों की हिंसक घटनाओं ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। जीएसवीएम मेडिकल कालेज के मनोरोग विभागाध्यक्ष डॉ. धनंजय चौधरी ने इन घटनाओं के लिए अभिभावकों को जिम्मेदार ठहराया है।

बीते दिनों कांशीराम कालोनी चकेरी

जीएसवीएम मेडिकल कालेज के मनोरोग विशेषज्ञों ने अभिभावकों को किया आगाह

बच्चों को रोज समय देने व मन की बात सुनने की सलाह दी

निवासी दस साल के नाबालिंग ने तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। नाकाम होने पर उसे ईंट से कुचलकर मार डाला। पुलिस की जांच में यह बात सामने आयी थी कि उसने यह सब मोबाइल से सीखा। घटना के बाद बच्चे को जुबेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद बाल गृह भेज दिया गया। दूसरा मामला 19 जून का है। रहटी डेरा गांव घाटमपुर में क्रिकेट खेलने के दौरान क्लीन बोल्ड होने पर बच्चे ने पड़ोस में रहने वाले 14 साल के बच्चे की हत्या कर दी। विवाद इसलिए हुआ कि आउट होने के बाद वह बैटिंग करना नहीं छोड़ रहा था। तीसरा केस छह जन

का है। ग्वालटोली थाना क्षेत्र में 15 साल के किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। हत्यारोपी ने पुलिस को बताया था कि गैंगवार के चलते यह घटना हुई। पढ़ायी लिखायी की उम्र में बच्चे मोबाइल से गैंग बनाकर दबंगई करना

चौथा केस बाबूपुरवा कालोनी का है। बीस जुलाई को बाबूपुरवा निवासी 8 साल का बच्चा वीरेंद्र स्वरूप एजूकेशन सेंटर किदवई नगर में स्पाइडरमैन से प्रेरित होकर रेलिंग से 16 फिट नीचे कुद गया। इससे वह घायल हो गया था। मनोरोग विभागाध्यक्ष डा.धनंजय चौधरी का कहना है कि इंटरनेट का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। हर बच्चे के पास मोबाइल मौजूद है। बच्चे क्राइम वेव सीरीज व अश्लील फिल्में देखकर गलत दिशा में जा रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं। इससे बच्चे अपने मन की बात खुलकर नहीं कह पाते हैं। घटनाओं का अंजाम देने वाले बच्चों की काउंसलिंग में

मोहर्रम मे गए गांव, चोरो ने घर किया साफ

कानपुर (एसएनबी)। मोहर्रम में रायबरेली गांव गये एक परिवार के घर में चोरी हो गई। शातिर चोरों ने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपयों की जेवर, कैश और कीमती सामान चोरी कर लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद शातिर भाग निकले।

चकेरी के जाजमऊ इलाका निवासी नरगिस फातिमा पत्नी हैदर ने पुलिस को बताया कि वह पति और बच्चों के साथ 29 जुलाई को मोहर्रम मनाने के लिए रायबरेली गांव गई थी। सोमवार की सुबह जब घर लौटी तो मेनगेट का ताला टूटा हुआ था। कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी का ताला टुटा था और सारे कपड़े बिखरे पड़े हुए थे। पीड़िता ने बताया कि जब उसने लॉकर को चेक किया तो उसमें रखी करीब पांच लाख रुपये के जेवर, कैश और कीमती सामान चोरी था। शातिर चोर कीमती कपड़े भी चोरी कर ले गए। घबरायी महिला और उसके परिजनों ने मामले की शिकायत चकेरी पुलिस को दी। पुलिस और फारेंसिक टीम ने जांच के बाद चोरों के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली।

घर में सो रही दिव्यांग की बहन से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म का प्रयास

कानपुर (एसएनबी) । कल्याणपुर इलाके में मंगलवार देर रात घर में सो रही एक दिव्यांग की बहन के साथ पड़ोस में रहने वाले दबंगों ने दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। शोर सुनकर बचाने आये दिव्यांग को भी आरोपियों ने बुरी तरह पीटा और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुये भाग निकले। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित थाने में तहरीर दी। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज उनकी की तलाश शुरू कर दी है।

उन्नयन बस्ती निवासी दिव्यांग ने बताया कि उसके पिता ठेला लगाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। परिवार में उसकी एक बड़ी बहन है। दिव्यांग ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले दबंग अभय व नैतिक काफी समय से उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ करते चले आ रहे हैं। मंगलवार रात उसके पिता रिश्तेदार पिछले कई दिनों से आरोपी पीड़िता से कर रहे थे छेड़छाड़ मुकदमा दर्ज

के घर गये हुये थे। घर पर वह और उसकी बहन थे। देर रात अभय व नैतिक अपने साथियों के साथ घर में घुस आये और उसकी बहन को दबोच लिया। आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। किसी प्रकार वह उनके चंगुल से छूटी और शोर मचाया। शोर सुनकर वह भी जाग गया और उसने विरोध किया तो आरोपियों ने उसे व उसकी बहन को बुरी तरह पीटा और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुये भाग निकले। पीड़ित बहन को लेकर वह थाने पहुंचा। पुलिस ने पीडिता की तहरीर पर अभय व नैतिक समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी हैं।

दो महिलाओं ने फांसी लगाकर दी जान

कानपुर (एसएनबी)। किदवई नगर व बिठ्र थानाक्षेत्र में मंगलवार देर रात कमरे में लगे पंखे से दो अलग-अलग महिलाओं ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। बुधवार सुबह परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया। वहीं एक के मायके वालों ने पति पर हत्या का आरोप लगाते हुये थाने में तहरीर दी। किदवई नगर तिरुपति ग्रीन आपार्टमेंट निवासी

> अनिल सिंह रिटायर्ड फौजी है। परिवार में पत्नी कषका सिंह एक बेटी व एक बेटा है। बेटी दिल्ली में रहती है,जबिक बेटा साथ में रहता है। पुलिस के मुताबिक बुधवार कृषका सिंह का शव कमरे में लगे पंखे से फांसी के फंदे पर लटक रहा था। यह देख परिजनों के होश उड गये। आनन

फानन में परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्ट मार्टम के लिये भेज दिया। वह परिजनों ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं बिठ्र ब्रह्मनगर निवासी अजय गौतम की (21) वर्षीय पत्नी हो गया था। जिसके बाद वह अपने कमरे में सोने के लिये चली गई। सुबह अजय ने कमरे का दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गये। कमरे में लगे पंखे से माला का शव फंदे पर लटका देख उसने पुलिस को सूचना देने के बाद ससुरालीजनों को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे मृतका के मायके वालों ने पित कर हत्या कर शव को फांदे पर लटकाने का आरोप लगाते हुये हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उग्र लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया और शव

दो ने फंदा लगाया, एक की मौत, दूसरी भर्ती

भीतरगांव/नर्वल। साढ़ थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग गांवों में फांसी से जहां माला का मंगलवार को पति से किसी बात पर विवाद एक युवती की मौत हो गयी। वहीं एक अधेड़ महिला को समय रहते बचा लेने से उसका उपचार जारी है। घटनाक्रम के अनुसार देवसढ़ गांव में बुधवार सुबह करीब 6 बजे बीमारी से परेशान एक युवती ने संदिग्ध अवस्था में फांसी लगाकर जान दे दी। जानकारी के अनुसार देवसढ गांव निवासी होरीलाल की बीस वर्षीय पुत्री नेहा ने बीमारी से आजिज आकर फांसी लगा ली। जब परिजन खेतों में काम करने चले गए तो घर में बनी गैलरी के कंडे से रुपट्टा के सहारे फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया। मृतका दों बहनों में छोटी है और तीन भाई है पिता दिव्यांग है मां का कई वर्ष पहले देहांत हो गया। वहीं दूसरी घटना में अमौर निवासी साधना पत्नी अवधेश (40) वर्ष ने गृह कलेश से आजिज आकर घर पर रस्सी के सहारे फांसी लगा ली, लेकिन समय रहते परिजन तुरंत हॉस्पिटल ले गए। जहां हालत ठीक बताई जा रही है।

हरियाणा में हिंसा के बाद नगर में हाईअलर्ट, इंटेलिजेंस सतर्क

न्यूड वीडियो कॉल कर व्यापारी से ब्लैकमेल का प्रयास

कानपुर । यशोदानगर निवासी व्यापारी ने थाने में तहरीर देते हुये बताया कि उनका विदेशों में लेदर का एक्सपोर्ट का व्यापार है। पीड़ित के मुताबिक उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिस पर वीडियो कॉल करने को कहा गया। कुछ देर बाद उसी नम्बर से वीडियो कॉल आने लगी। उन्होंने क ॉल उठाई तो सामने एक युवती थी, जिसने बातचीत बढ़ाने के बाद न्यूड होकर वीडियो कॉल करने को कहा। महिला की बातों में आकर पीड़ित ने उसके कहे अनसार कॉल कर दी। महिला ने उस वीडियो कॉल को मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया और उसे वायरल करने की धमकी देने लगी। डर कर पीड़ित ने महिला का नंबर ब्लॉक कर दिया तो महिला अन्य नंबरों से उसे कॉल कर धमकी देने लगी। इससे परेशान होकर उन्होंने संबंधित थाने में अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-उन्नाव

जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर

जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर

-: निविदा सूचना :-

निविदा डालने की अन्तिम तिथि - 09.08.2023 की अपरान्ह 02:00 बजे उपरोक्तानुसार आमन्त्रित निविदाओं के कार्यों का पृथक-पृथक विवरण

सम्बन्धित जोन के अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय में देखी जा सकती है।

वेबसाइट etender.up.nic.in पर एवं जलकल विभाग की वेबसाइट

jalkalkanpur.in पर देखी जा सकती है तथा निविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्ते

कृपया अपने जलकर/सीवर कर, जल मृल्य के बिलों का आनलाइन भुगतान

jalkalkanpur.in पर करें

जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर में जोन-4 के अन्तर्गत निम्नानुसार

पत्रांक- 1887 /ग्रा०अ०वि०/निविदा/उन्नाव/2023-24

ई-प्रोक्योरमेण्ट नोटिस

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-उन्नाव द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में 'ए/बी/सी'/डी (भवन/मार्ग) श्रेणी में पंजीकृत पात्र ठेकेदारो से निम्नलिखित कार्यों हेतु ई—टेण्डरिंग के माध्यम से प्रतिशत् दर की निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं।

कमांक	जनपद का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (जी०एस०टी० रहित) (रु० लाख)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (समस्त करों सहित) (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षा ऋतु सहित)	
1	2	3	4	5	6	7	
		विधायक निधि योजना					
1	उन्नाव	सरौहा विकास खण्ड—मियागंज में न्यायी माता मंदिर से निसार अहमद के घर वाया भइयालाल के घर तक इं०ला० रोड का निर्माण कार्य।	9.67	0.193	1000.00	3 माह	

बिंड डाक्यूमेन्ट वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर दिनांक-16.08.2023 से 25.08.2023 तक उपलब्ध है। जो कि दिनांक-25.08.2023 को समय 12.00 बजे दोपहर तक अपलोड किये जा सकते हैं। इसकी तकनीकी बिड दिनांक –25.08.2023 को समय–12.30 बजे खोली जायेगी।

अधोहस्ताक्षरी को ITB Clause-9 के अनुसार परिशिष्ट/शुद्धि पत्र आनलाइन जारी करने का अधिकार है जिसका प्रकाशन समाचा पत्रों में नहीं किया जायेगा। सभी इच्छुक निविदादाओं को ई–टेण्डर वेबसाइड को लगातार देखते रहने की सलाह दी जाती है। निविदा से सम्बंधित अधिक जानकारी वेबसाइड http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

उ.प्र. : 192862 दिनांक : 01.08.2023 ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग वेबसाइट : www.upgov.nic.in

अधिशासी अभियन्ता प्रखण्ड-उन्नाव।

पर हमले के विरोध में बजरंग दल नगर के मुस्लिम और की उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम मिश्रित आबादी वाले इलाके

जिला इकाइयों ने विभिन्न स्थानों पर पुलते फूंकते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने रामादेवी और दीप टाकीज चौराहा, साकेतनगर में पुतला दहन करने के बाद घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए धार्मिक यात्रा पर हमले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही हमले में मारे गये लोगों के

(एसएनबी)।

हरियाणा के नृंह में धार्मिक यात्रा

परिजनों को एक करोड़ रुपये

मुआवजा और घायलों को 20

लाख रुपये मदद देने की मांग की

गयी। हमलावरों पर रासुका लगाने

की मांग भी की गयी।

की हर हलचल पर है पुलिस की नजर सीसीटीवी और ड्रोन की

मदद से की जा रही निगरानी, इंटेलिजेंस भी सक्रिय

संवेदनशील और अतिसंवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पेट्रोलिंग व पिकेट की व्यवस्था की

कानपुर (एसएनबी)। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद कानपुर कमिश्नरेट हाईअलर्ट पर है। खुफिया विभाग/इंटेलिजेंस विभाग भी बेहद सतर्क हो चुका है, जो हर मोहल्ले की हलचल पर पैनी नजरें रखे हुए है। मुस्लिम और मिश्रित आबादी वाले इलाकों पर खास निगरानी रखने के लिए पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने अतिसंवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च किया। पुलिस आयुक्त के मृताबिक खुफिया कैमरों और डोन की मदद से इलाकों की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा संवेदनशील स्थानों पर अलग से पेट्रोलिंग और पिकेट की व्यवस्था की गई है। विरोध प्रदर्शन स्वरूप जो भी कार्यक्रम हैं वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाया गया है और पुलिस आयोजकों के भी संपर्क में है। पुलिस की एक विंग सोशल

हरियाणा कांड के विरोध में बजरंग दल ने फूंके पुतले

मीडिया, ट्विटर व अन्य सोशल साइट्स पर पैनी नजरें रखे हुए है।

पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड के मुताबिक हरियाणां के नंह में सोमवार को भड़की हिंसा के बाद यूपी में विशेष सतर्कता बरते जाने के कड़े निर्देश शासन द्वारा जारी किए गये हैं। पुलिस आयुक्त ने बताया कि कानपुर कमिश्नरेट हाईअलर्ट पर है। भीड़भाड़ वाले इलाकों व स्थानों पर गश्त बढ़ाने के निर्देश दिये गए हैं। विशेषकर सोशल मीडिया की निगरानी बढाने और किसी भी अफवाह का तत्काल खंडन किये जाने के निर्देश कमिश्नर ने आलाधिकारियों को दे दिये हैं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित संदेशों में कड़ी नजर रखने के साथ ही किसी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने वालों के विरुद्ध भी तत्काल कार्रवाई की

जायेगी। संवेदनशील व अतिसंवेदनशील क्षत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के साथ ही पुलिस, आरएएफ व पीएसी को लगातार पेट्रोलिंग के लिए निर्देश जारी किये गए हैं। यह भी बताया गया है कि हर छोटी सूचना को भी पूरी गंभीरता से लेकर एक्शन लें। इसके अलावा धर्मशालाओं, होटलों, मॉल्स व अन्य स्थानों की भी चेकिंग करने के निर्देश दिये हैं। इंटेलिजेंस की सक्रियता और भी बढ़ा दी गई है। नगर के सभी संवेदनशील व अतिसंवेदनशील स्थानों पर अलग से पेट्रोलिंग और पिकेट की व्यवस्था की गई है। महत्वूपर्ण स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विरोध प्रदर्शन स्वरूप जो भी कार्यक्रम प्रस्तावित थे वहां पर फोर्स की व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की मदद से भी प्रत्येक व्यक्ति की निगरानी की जा रही है।